दर्ज रजि. ... पेश हो ... 2024

सहायक कलक्टर (कोटद्वार)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

12.8.2024 पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ है जिस पर नियत तारीख पक्षों को बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित खातेदारी ख.न. क्रमशः 290 रकबा 0.32 है., 291 रकबा 0.88 है., 292 रकबा 0.42 है., 293 रकबा 0.76 है., 294 रकबा 0.72 है., 297 रकबा 0.04 है., 300 रकबा 0.50 है., 301 रकबा 0.88 है., कुल किता 08 रकबा 4.52 है. का 1/4 भाग व ख.न. 35 रकबा 1.44 है. का 1/3 भाग जो कि ग्राम झझारपुर तह. मुण्डावर में स्थित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि यह खातेदारी उनकी हरियाणा में स्थित रही पैतृक खातेदारी को बेचकर उसके प्रतिफल

प्राप्त

सहायक कलक्टर (कोटद्वार)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहा. कलेक्टर मुण्डावर | प्रा.प. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
रीतिका बनाम ईश्वर | 212 RT Act

कृ रकबा में प्रतिवादी सं. 1 / अप्रार्थी सं. 1 ने खरीद किया है (मुताबिक प्रस्तुत सनद अप्रार्थी सं.- 1 प्रार्थीगण के दादा व दादा ससुर है) इसलिए यह आराजी पैतृक आराजी से प्राप्त होने के कारण पैतृक दादालाई इस आराजी में मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम हक-हकूक पैदा होते है अतः दावा के निर्णय होने तक आराजी को सुरक्षित किये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड व मौका के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित है। इसलिए बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक-तरफा सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थी सं.- 2 नाबालिग है प्रार्थी सं. 3 विधवा स्त्री है इसलिए भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके हक हकूक को सुरक्षित किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावलि का अध्ययन अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित है अर्थात इस आराजी के संबंध में प्रार्थीया के वाद/ प्रा.पत्र को काउन्टर नहीं कर रहे है। संलग्न दस्तावेज से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी द्वारा हरियाणा में आराजी का बेचान कर प्रतिफल प्राप्त किया गया है।

क्रमशः

[signature]
उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहा० कलेक्टर मुण्डावर — सा.प्र. 72 / 04

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रितिका बनाम ईश्वर

और इसकी संभावना भी है जैसा कि प्रार्थी ने कथन किया है कि उस प्रतिफल से यहाँ यह विवादित खाताली क्रय गई हो।

अतः वाद के अंतिम रूप से फैसल होने तक उक्त विवादित खाताली को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को मुताबिक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12-7-24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न हो।

12/7/24

[redacted]

(सहा. कलेक्टर, मुण्डावर)